

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या- \*92

सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट

\*92. श्री टी. आर. बालू:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्र में वर्ष 2015 से 2022 तक 9.5 मिलियन नौकरियों का भारी नुकसान हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आदि जैसे प्रमुख राज्यों में रोजगार के अवसरों के कम होने के क्या कारण हैं और इस संबंध में प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
श्रम और रोजगार मंत्री  
(डॉ मनसुख मंडाविया)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

\*\*

“राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट” के संबंध में श्री टी. आर. बालू द्वारा दिनांक 29-07-2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*92 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ए.एस.यू.एस.ई.), में विशिष्ट रूप से विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में, अनिगमित गैर-कृषि स्थापनाओं में विभिन्न आर्थिक और परिचालनात्मक विशेषताओं को मूल्यांकन किया जाता है।

नवीनतम ए.एस.यू.एस.ई. रिपोर्टों के अनुसार, 2021-22 में कर्मचारियों की संख्या, 9.79 करोड़ थी जो 2022-23 में 10.96 करोड़ हो गई है।

इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वेतन चिट्ठा के आँकड़ें, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर का अनुमान देता है। 1.3 करोड़ से ज्यादा निवल अभिदाता 2023-24 के दौरान, ईपीएफओ में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, पिछले साढ़े छः सालों के दौरान (सितंबर 2017 से मार्च 2024 तक), 6.2 करोड़ से अधिक निवल अभिदाता ईपीएफओ में शामिल हो गए, जो रोजगार की औपचारीकरण में वृद्धि को दर्शाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित के.एल.ई.एम.एस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्रीयाँ और एस: सेवाएँ) डेटाबेस, अखिल भारतीय स्तर पर, रोजगार अनुमानों प्रदान करता है। डेटाबेस की न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान में देश में रोजगार 2014 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17.18 करोड़ है।

2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), सामान्य स्थिति में, 15 वर्षों और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए रोजगार का संकेत देता है जो 2018-19 और 2021-22 के वर्ष में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में निम्नानुसार हैं:

कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (% में)		
राज्यों	वर्षों	
	2017-18	2022-23
पश्चिम बंगाल	47.8	56.1
कर्नाटक	49.1	55.6
आंध्र प्रदेश	57.2	58.6
तेलंगाना	49.8	57.7
तमिलनाडु	51	54.7
उत्तर प्रदेश	41.8	53.9

डेटा दर्शाते हैं कि रोजगार को दर्शाने वाला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), उपर्युक्त राज्यों में वर्ष 2017-18 से 2022-23 में बढ़ा गया है।

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने, देश में, रोजगार सृजन हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी मामले मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इत्यादि रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) इत्यादि, भारत सरकार द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों की ब्यौरो, [https://dge.gov.in/dge/schemes\\_programmes](https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes) पर देखा जा सकता है।

\*\*\*\*\*